By Akhilesh Kumar (G. T Assistant professor)
JK College Biraul Darbhanga
YouTube :A Commerce Education

Notes BY: AKHILESH KUMAR(Guest Teacher)

DEPARTMENT OF COMMERCE

JANTA KOSHI COLLEGE BIRAUL, DARBHANGA

FOR-LNMU B. COM PART -2 Hons paper -III Business and Regulatory Framework unit-iii Negotiable instrument act 1881 ,question answer

प्रतिज्ञा-पत्र,एवं विनिमय-विपत्र (Promissory-Note and Bills of Exchange)

प्रश्न : प्रतिज्ञा-पत्र, विनिमय-विपत्र तथा चैक को परिभाषित करते हुये इनके बीच अन्तर स्पष्ट कीजिये।

उत्तर-

विनिमय-विपत्र (Bills of Exchange)

परिभाषा- विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 5 के अनुसार, ("विनिमय-विपत्र एक शर्त रहित आज्ञा-पत्र है

जिसमें लिखने वाले के हस्ताक्षर होते हैं तथा लेखक, विलेख में वर्णित निश्चित धनराशि किसी निश्चित व्यक्ति को अथवा उसके द्वारा

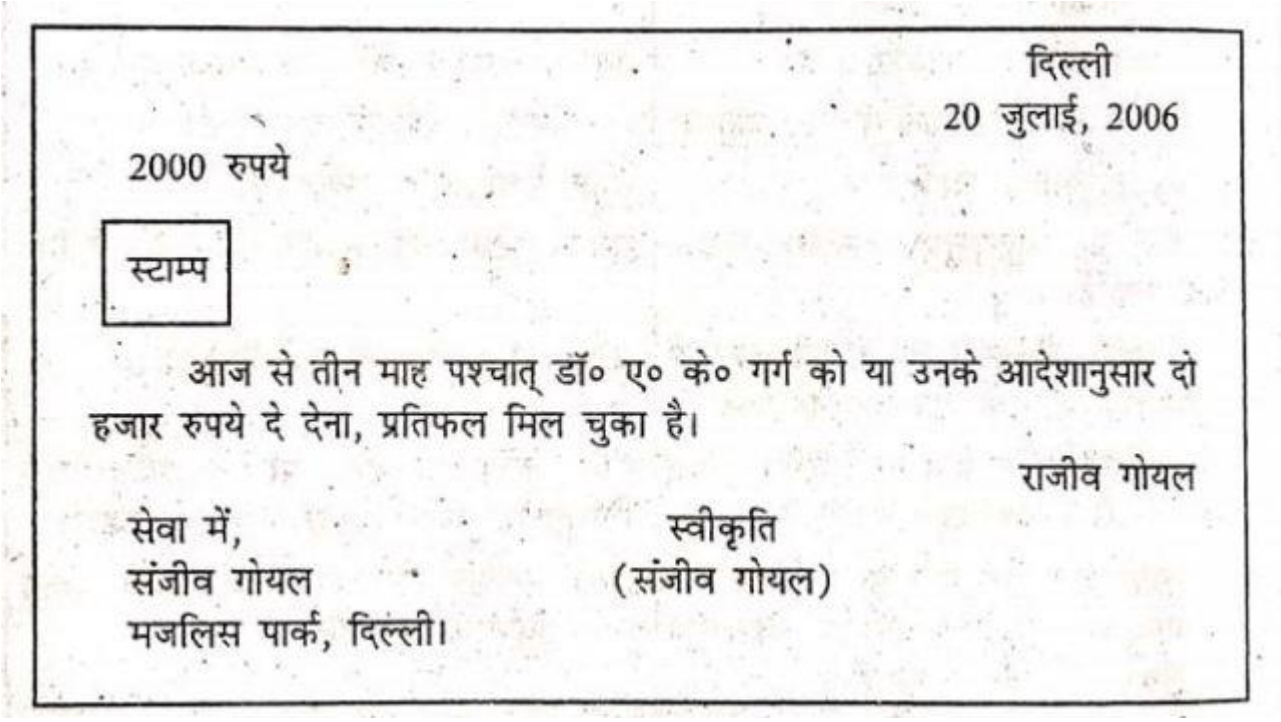

दिल्ली
20 जुलाई, 2006

2000 रुपये

स्टाम्प

आज से तीन माह पश्चात् डॉ० ए० के० गर्ग को या उनके आदेशानुसार दो हजार रुपये दे देना, प्रतिफल मिल चुका है।

राजीव गोयल

सेवा में,
संजीव गोयल
मजलिस पार्क, दिल्ली।

स्वीकृति
(संजीव गोयल)

आदेशित व्यक्ति को अथवा लेख-पत्र के वाहक को भुगतान करने का आदेश देता है।"

रिजर्व बैंक या सरकार को छोड़कर कोई भी व्यक्ति ऐसा विनिमय-पत्र नहीं लिख सकता जो वाहक की माँग पर देय हो।

विनिमय–विपत्र का नमूना

विनिमय–विपत्र के लक्षण (Characteristics of Bills of Exchange)- उपर्युक्त परिभाषा के आधार पर विनिमय-विपत्र में पाये जाने वाले लक्षण इस प्रकार हैं-1. यह लिखित होना चाहिये। 2. विनिमय-विपत्र में एक निश्चित धनराशि के भुगतान करने का आदेश होता है। १ यह शर्त रहित आदेश होता है। 4. विनिमय-विपत्र पर लेखक के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। 5. इसका भुगतान निश्चित अवधि के बाद होता है। 6. इस पर नियमानुसार स्टाम्प भी लगाया जाता है। 7. इसका भुगतान निश्चित व्यक्ति को या उसके द्वारा आदेशित व्यक्ति को या लेखपत्र के वाहक को किया जाता है।

विनिमय–विपत्र के पक्षकार (Parties to B/E)- विनिमय-विपत्र में निम्नलिखित तीन पक्षकार होते हैं-

1, लेखक या आहर्ता (Drawer)- वह व्यक्ति जो विनिमय-विपत्र को लिखता है, '. लेखक या आहर्ता कहलाता है। यह भुगतान का आदेश देता है।

2, आहारीं या स्वीकर्ता (Drawee or Acceptor)- वह व्यक्ति जिस पर विनिमय-पत्र लिखा जाता है अर्थात् जिसे भुगतान करने की आज्ञा दी जाती है, आहार्य कहलाता है। जब यह स्वीकृति दे देता है तो इसे 'स्वीकर्ता' कह देते हैं।

3, भुगतान प्राप्तकर्ता या आदाता (Payee)- वह व्यक्ति जो विनिमय-विपत्र का भुगतान प्राप्त करता है। _ कभी-कभी लेखक और भुगतान प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति होता है। ऐसी दशा में एक ही व्यक्ति दो पक्षकारों की स्थिति में होता है।

प्रतिज्ञा–पत्र (Promissory-Note)

परिभाषा (Definition)- विनिमय-साध्य विलेख अधिनियम की धारा 4 के अनुसार, "प्रतिज्ञा-पत्र एक लिखित विलेख है जिस पर लिखने वाले के हस्ताक्षर होते हैं तथा लेखक उसमें वर्णित किसी व्यक्ति अथवा उसके आदेशानुसार अथवा वाहक को शर्त रहित विलेख में अंकित राशि देने की प्रतिज्ञा करता है।"

यह ध्यान रखने योग्य है कि रिजर्व बैंक तथा केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त कोई भी संस्था या व्यक्ति ऐसा प्रतिज्ञा-पत्र नहीं लिख सकता जो वाहक की मांग पर देय हो।

प्रतिज्ञा–पत्र के लक्षण या विशेषताएँ (Characteristics of P/N) उपर्युक्त परिभाषा के आधार पर प्रतिज्ञा– पत्र में इन लक्षणों का होना अनिवार्य है-1. यह लिखित होना चाहिये। 2. लेखक द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिये। 3. यह देनदार (ऋणी) द्वारा लिखा जाता है। 4. इसमें भुगतान करने की प्रतिज्ञा की जाती है। 5. भुगतान की प्रतिज्ञा शर्त रहित होनी चाहिये। 6. इसमें धनराशि का निश्चित होना आवश्यक है। 7. भुगतान की अवधि निश्चित होती है। 8. भुगतान देश की मुद्रा में होना चाहिये। 9. रक़म के अनुसार मुद्रांक (Stamp) का लगाया जाना अनिवार्य है। 10. भुगतान एक निश्चित व्यक्ति को या उसके आदेशित व्यक्ति को दिया जाता है।

प्रतिज्ञा–पत्र का नमूना

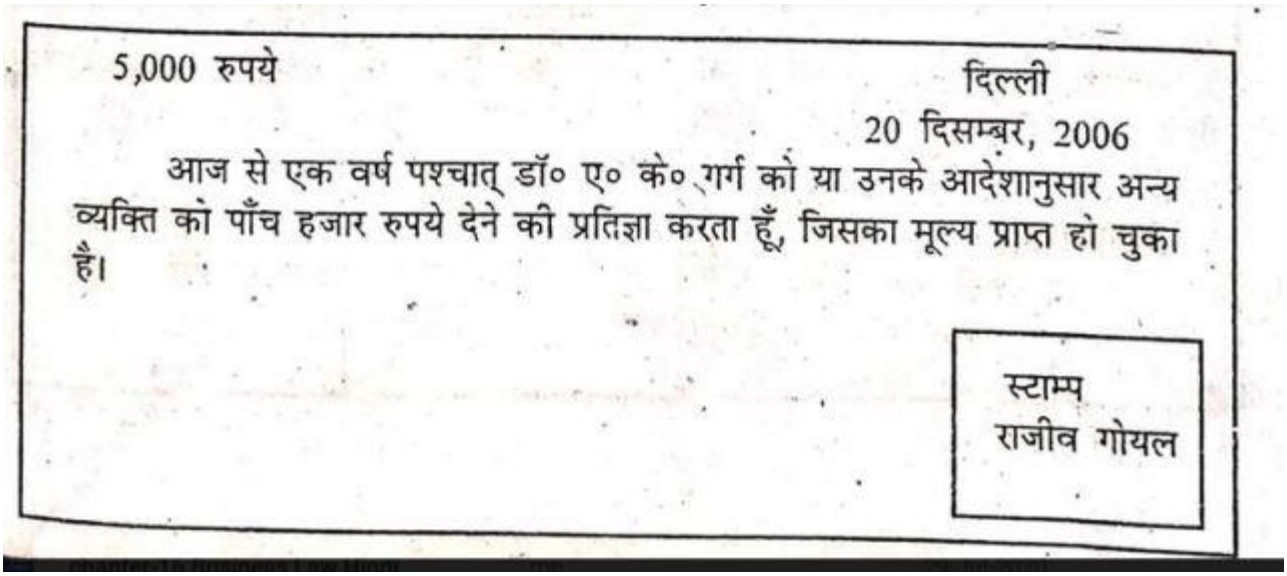

5,000 रुपये

दिल्ली

20 दिसम्बर, 2006

आज से एक वर्ष पश्चात् डॉ० ए० के० गर्ग को या उनके आदेशानुसार अन्य व्यक्ति को पाँच हजार रुपये देने की प्रतिज्ञा करता हूँ, जिसका मूल्य प्राप्त हो चुका है।

स्टाम्प
राजीव गोयल

प्रतिज्ञा–पत्र के पक्षकार (Parties of Promissory-Note)- प्रतिज्ञा-पत्र में दो पक्षकार होते हैं-

(i) लेखक अथवा आहर्ता (Drawer)- जो प्रतिज्ञा-पत्र को लिखता है, यह व्यनि ऋणी या देनदार होता है जो भुगतान करने की प्रतिज्ञा करता है।

(ii) आदाता या भुगतान पाने वाला (Payee)- जिसे प्रतिज्ञा-पत्र की रकम का भुगतान प्राप्त करना होता है।